भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1206

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025 / 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

निर्माण श्रमिकों हेतु डिजिटल पहल के विरुद्ध आरोप

†1206.श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

श्री इटेला राजेंदरः

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने डिजिटल लेबर चौक पोर्टल, लेबर चौक सुविधा केन्द्र और नए सेस कलेक्शन पोर्टल को शुरू करने से पहले केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से परामर्श किया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीडब्ल्यूएफआई) ने हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल लेबर चौक पोर्टल/ऐप, लेबर चौक सुविधा केंद्र (एलसीएफसी) की स्थापना और नए ऑनलाइन भवन एवं निर्माण श्रमिक सेस कलेक्शन पोर्टल और राज्य की भूमिका की समीक्षा करने का अनुरोध किया है और यदि हाँ, ती तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीडब्ल्यूएफआई) के इस आरोप पर ध्यान दिया है कि उक्त डिजिटल पहल का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को "संघ से अलग करना" है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस बात का कोई प्रभाव आकलन किया है कि उक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार श्रमिकों के संगठित होने और संघ बनाने के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करेंगे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या डिजिटल लेबर चौक प्लेटफॉर्म नियोक्ताओं को श्रमिकों की भर्ती में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को दरकिनार करने में सक्षम बनाता है या प्रोत्साहित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उक्त प्लेटफॉर्म का उपयोग निर्माण श्रमिकों पर निगरानी, प्रोफाइलिंग या डेटा-संचालित नियंत्रण के लिए नहीं किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): केन्द्र सरकार भवन कामगारों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षा और स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे संबंधित उपबंधों को सामाजिक सुरक्षा संहिता,

2020 (सीओएसएस, 2020) और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020) में भी शामिल किया गया है, जो दिनांक 21.11.2025 को लागू हो गई हैं।

केंद्र सरकार ने डिजिटल लेबर चौक के लिए एक कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत की है, जिसका उपयोग राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन के बाद किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य फिजिकल लेबर चौक के अतिरिक्त, नियोक्ता और श्रमिक को डिजिटल रूप से जोड़ना है।

केंद्र सरकार पानी, शौचालय, क्रेच आदि जैसी सुविधाओं के साथ लेबर चौक के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ परामर्श करके मौजूदा लेबर चौकों को लेबर चौक सह सुविधा केंद्र (एलसीएफसी) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

केंद्र सरकार ने बीओसीडब्ल्यू उपकर के ऑनलाइन संग्रह के लिए एक सॉफ्टवेयर भी शुरू किया है, जिसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने स्तर पर कस्टमाइज्ड और उपयोग किया जा सकता है, ताकि उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से बीओसीडब्ल्यू उपकर के संग्रह के लिए एक व्यापक डिजिटल तंत्र प्रदान किया जा सके।

*****